

CORPORATE OFFICE

Delhi Office

706 Ground Floor Dr. Mukherjee
Nagar Near Batra Cinema Delhi -
110009

Noida Office

Basement C-32 Noida Sector-2
Uttar Pradesh 201301



दिनांक: 8 जनवरी 2024

दिव्यांगजन : कल्याण और सशक्तिकरण

स्त्रोत - ' द हिन्दू '

सामान्य अध्ययन : सामाजिक न्याय, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं
चर्चा में क्यों ?



- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा 1 नवंबर 2023 से मिस्र की सुश्री हेबा हाग्रास को दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकारों पर विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सुश्री हेबा हाग्रास विश्व भर में एक समाजशास्त्री, एक वकील, अंतरराष्ट्रीय विकलांगता सलाहकार और एक शोधकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित रही हैं। वह मिस्र, अरब क्षेत्र और दुनिया भर में व्यापक अनुभव वाले दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकारों के लिए तथा विशेष रूप से दिव्यांगजन महिलाओं की प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करती रही हैं। सन 2015 और सन 2020 के बीच सुश्री हैग्रास मिस्र में, संसद सदस्य के रूप में विधायी सुधारों में दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देने और विकलांगता मामलों की राष्ट्रीय परिषद के महासचिव के रूप में कार्य किया। वह दिव्यांगजनलोगों के अरब संगठन की संस्थापक सदस्या भी रही हैं, जहां वह 1998 से 2008 के बीच सक्रिय थीं, जिसमें वे महिला मामलों की समिति की प्रमुख भी थीं।
- वर्ष 2022 में विश्व दिव्यांग दिवस थीम - " समावेशी विकास हेतु परिवर्तनकारी समाधान (Transformative solutions for inclusive development)" थी।
- 1992 में, संयुक्त राष्ट्र ने 3 दिसंबर को दिव्यांगजन व्यक्तियों के अंतरराष्ट्रीय दिवस (आईडीपीडी) के तौर पर घोषित किया था। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में दिव्यांगजनों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाकर इनके अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के इरादे से यह दिवस हर वर्ष दुनियाभर में मनाया जाता है।
- भारत में, हर साल दिव्यांगजन व्यक्तियों के अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, दिव्यांगजनों के जीवन में सशक्तिकरण में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए कुछ व्यक्तियों/ संस्थानों/ राज्यों/ जिलों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार निम्नलिखित 14 श्रेणियों के तहत दिए जाते हैं: -

- (i) सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी/ दिव्यांगजनस्व-रोज़गार ।
 - (ii) (क) सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता (ख) सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट अधिकारी या एजेंसी ।
 - (iii) दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाला (क) सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या (ख) सर्वश्रेष्ठ संस्थान।
 - (iv) रोल मॉडल (1) दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार के उद्देश्य से सर्वोत्तम अनुप्रयुक्त अनुसंधान या नवाचार या उत्पाद विकास।
 - (v) दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य ।
 - (vi) सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला।
 - (vii) राष्ट्रीय दिव्यांग संघ विकास निगम की सर्वश्रेष्ठ राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी ।
 - (viii) उत्कृष्ट रचनात्मक वयस्क दिव्यांगजन और सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक दिव्यांग बच्चे।
 - (ix) सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस।
 - (x) सर्वश्रेष्ठ 'सुलभ वेबसाइट'।
 - (xi) विकलांगों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य और
 - (xii) सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी।
- निःशक्तता के कई कारण होते हैं – जिनमें से कुछ ज्ञात हैं और कुछ का पता लगाना मुश्किल है। ज्ञात कारणों के मामले में, निवारक उपाय जन्मजात और उपार्जित दोनों तरह की निःशक्तता की घटनाओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में, विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है। अधिनियम में पहले के सात प्रकारों के बजाय 21 प्रकार की अक्षमताओं की गणना की गई है और केंद्र सरकार को समय-समय पर सूची को संशोधित करने का अधिकार दिया है। इसने दिव्यांगजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का स्थान लिया है, जो दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकारों (यूएनसीआरपीडी) पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत दायित्वों को पूरा करता है, जसमें भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।

अशक्तता का अर्थ और परिभाषा:

कोई व्यक्ति एक विशिष्ट वातावरण में अशक्त या दिव्यांग हो सकता है लेकिन कई जगहों पर अशक्त नहीं हो सकता है। अशक्तता को अक्सर शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के सामान्य कामकाज में खराबी, गड़बड़ी या हानि के रूप में, या सामाजिक रूप से सीखने या समायोजित करने में कठिनाई होने के तौर पर परिभाषित किया जाता है, जो सामान्य वृद्धि और विकास में हस्तक्षेप करती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम), दिव्यांगजन, बेंचमार्क अशक्त व्यक्ति, और उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजनों के निम्नलिखित अर्थ हैं:-

अशक्त व्यक्ति – लंबे समय तक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति, जो बाधाओं के साथ बातचीत, दूसरों के साथ समान रूप से समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालते हैं, अशक्त व्यक्ति कहलाते हैं।

बेंचमार्क अशक्तता ग्रस्त व्यक्ति – कम से कम 40 प्रतिशत निर्दिष्ट अशक्तता वाला व्यक्ति जहां निर्दिष्ट अक्षमता को मापन योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें अशक्तता वाला व्यक्ति शामिल है, जहां निर्दिष्ट अक्षमता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले दिव्यांगजन –

दिव्यांगजन अधिनियम के अनुच्छेद 58 की उप-अनुच्छेद (2) के खंड (क) के तहत प्रमाणित बेंचमार्क निःशक्तता वाला व्यक्ति जिसे उच्च समर्थन की आवश्यकता है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, दिव्यांगजनों की अनुमानित संख्या 2.68 करोड़ (भारत की कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत) हैं। इन दिव्यांगजनों की कु आबादी में से लगभग 1.50 करोड़ पुरुष हैं और 1.18 करोड़ महिलाएं हैं। इनमें देखने, सुनने, बोलने और चलने में अक्षम, मानसिक बीमारी, मानसिक मंदता (बौद्धिक अशक्तता), बहु-विकलांगता और अन्य अक्षमताओं वाले व्यक्ति शामिल हैं। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के अनुसार, लगभग 36 प्रतिशत दिव्यांगजन काम कर रहे हैं (पुरुष- 47 प्रतिशत और महिला-23 प्रतिशत). दिव्यांगजनश्रमिकों में, 31 प्रतिशत

खेतिहर मजदूर हैं। 15-59 वर्ष के आयु वर्ग में 50 प्रतिशत दिव्यांगजन बच्चे कार्यरत हैं, जबकि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के 4 प्रतिशत दिव्यांगजन बच्चे कार्यरत हैं।

संवैधानिक अधिकार :

- भारत का संविधान, अपनी प्रस्तावना के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित करने का प्रयास करता है; न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता; स्थिति और अवसर की समानता. ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243-जी) के प्रासंगिक उद्धरण दिव्यांगजन और मानसिक रूप से मंद लोगों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करते हैं (प्रविष्टि संख्या 26), और बारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243-डब्ल्यू) में कमजोर, दिव्यांगजन और मानसिक रूप से मंद समाज के वर्गों (प्रविष्टि संख्या 09) सहित, के हितों की रक्षा करने की बात कही गई है।

दिव्यांगजनों के संरक्षण और कल्याण से संबंधित कानून :

भारत में अभी दिव्यांगजनों के संरक्षण और कल्याण से संबंधित निम्नलिखित कानून विद्यमान हैं –

- भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
- ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट और एकाधिक विकलांगता अधिनियम, 1999
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, पहले तीन कानूनों से संबंधित कार्यों की देख-रेख करता है। चौथा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 कानून स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है।

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992: इस अधिनियम में पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण और एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) के रख-रखाव को विनियमित करने और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) के गठन का प्रावधान है. देशभर में लगभग 750 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और 14 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय आरसीआई अनुमोदित पाठ्यक्रम चला रहे हैं. वे एम.फिल-स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं. वर्तमान में, आरसीआई को आवंटित सभी 16 श्रेणियों के पेशेवरों/कार्मिकों को कवर करते हुए 60 पाठ्यक्रम नियमित पद्धति के माध्यम से परिचालित हैं।

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 : भारत सरकार ने इस अधिनियम को अधिनियमित किया है जिसका उद्देश्य ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक निकाय का गठन करना है. ट्रस्ट का उद्देश्य मानसिक मंदता और सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्तियों की पूरी देखभाल करना है और ट्रस्ट को दी गई संपत्तियों का प्रबंधन भी करना है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम – 2016 : यह अधिनियम दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए प्रभावी है. यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए उपयुक्त सरकारों पर जिम्मेदारी डाली गई है कि दिव्यांगजन भी दूसरों के साथ समान रूप से अपने अधिकारों का आनंद लें. विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम – 2017: मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का उद्देश्य मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं सुनिश्चित करना तथा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं के वितरण के दौरान और इनसे जुड़े या उनके आकस्मिक मामलों में ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, बढ़ावा देना और उन्हें पूरा करना है।

भारत में दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति :

- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय नीति, 2006 की समीक्षा करने और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के प्रावधानों, विकलांगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) और विकलांगता के प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए एक नए नीति दस्तावेज का सुझाव देने के लिए सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

भारत में दिव्यांगजनों के महत्वपूर्ण अधिकार :

शिक्षा का अधिकार :

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक सक्षम समावेशी वातावरण में शिक्षा के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीएसडब्ल्यूएन) की शिक्षा के लिए नए प्रोत्साहन का वादा करता है, चाहे वह किसी भी प्रकार की विकलांगता की श्रेणी और डिग्री हो। आरटीई अधिनियम के अनुच्छेद 23 के तहत एनसीटीई द्वारा अधिसूचित शिक्षक योग्यताएं विशेष शिक्षा (डी.एड और बी.एड विशेष शिक्षा) वाले व्यक्तियों को अन्य शिक्षकों के समान शिक्षकों के रूप में मान्यता देती हैं और सामान्य स्कूलों में ऐसे शिक्षकों की तैनाती एक सकारात्मक है।

उच्च शिक्षा में प्रवेश का अधिकार :

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधिकार के अनुसार, सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों को बेंचमार्क निःशक्त व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होंगी और उन्हें प्रवेश के लिए न्यूनतम पांच वर्ष की आयु में छूट देनी होगी।

रोज़गार का अधिकार:

- भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 15 जनवरी, 2018 को सभी मंत्रालयों और विभागों को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अनुच्छेद 34 के तहत निर्दिष्ट सरकारी नौकरियों में बेंचमार्क दिव्यांगजनव्यक्तियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण निर्दिष्ट किया गया है।

कानूनी संरक्षकता का अधिकार:

- ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्ति एक विशेष स्थिति में होते हैं क्योंकि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी, वे हमेशा अपने स्वयं के जीवन का प्रबंधन करने या अपनी बेहतरी के लिए कानूनी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसलिए, उन्हें अपने पूरे जीवन में कानूनी क्षेत्रों में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी की आवश्यकता हो सकती है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अनुच्छेद 14 के तहत, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर की समिति को ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक दिव्यांगजनव्यक्तियों के लिए आवेदन प्राप्त करने और नियुक्त करने का अधिकार है। यह उनकी संपत्तियों सहित उनके हितों की निगरानी और सुरक्षा के लिए तंत्र भी प्रदान करता है।

अभिगम्यता का अधिकार :

- दिव्यांगजनों को स्वतंत्र रूप से जीने और जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सक्षम करने के लिए, दिव्यांगजनों को अन्य लोगों के साथ समान आधार पर, भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और प्रणालियों सहित, और अन्य सुविधाओं और सेवाओं के लिए जो जनता के लिए खुली या प्रदान की जाती हैं, तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपायों की आवश्यकता है। इन उपायों में पहुंच के लिए बाधाओं की पहचान और उन्मूलन शामिल है।

अशक्तता प्रमाण पत्र का अधिकार:

- दिव्यांगजन, जो दिव्यांगजन अधिनियम के अधिकार के तहत लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसे इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण से विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। प्रमाण पत्र दिव्यांगजन विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों के आधार पर

जारी किए जाते हैं. विकलांगों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है. उनकी विकलांगता के प्रकार की व्याख्या करने वाली चिकित्सा रिपोर्ट का होना आवश्यक है, और विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40 प्रतिशत होनी चाहिए. प्रमाणन प्रक्रिया दिव्यांगजनव्यक्ति या माता-पिता के पास मेडिकल बोर्ड के माध्यम से अशक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निकटतम जिला अस्पताल से संपर्क करने से शुरू होती है. इसके बाद मेडिकल बोर्ड विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के लिए विशेषीकृत चिकित्सा उप-समितियों को मामलों को अग्रेषित करता है।

- दिव्यांगजनों को अधिकार सुनिश्चित करने वाली नोडल एजेंसी: नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण के उद्देश्य से गतिविधियों पर सार्थक जोर देने के लिए, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एक अलग अशक्त व्यक्ति (दिव्यांगजन) अधिकारिता विभाग बनाया गया था. विभाग विभिन्न हितधारकों के बीच घनिष्ठ समन्वय को प्रभावित करने सहित विकलांगता और पीडब्ल्यूडी से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सांस्थानिक ढांचा : कानूनी ढांचे के अलावा, केंद्र सरकार द्वारा व्यापक बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न मंत्रालयों के तहत 13 राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की है। राष्ट्रीय संस्थानों के अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के कौशल विकास, पुनर्वास और अधिकारिता के लिए लगभग 200 जिला अशक्तता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) के लिए 20 समग्र पुनर्वास केंद्र (सीआरसी) भी स्थापित किए हैं। इसके अलावा, 750 निजी संस्थान पुनर्वास पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं।

भारत में दिव्यांगजनों की चिकित्सा और देखभाल के राष्ट्रीय संस्थानों की सूची निम्नलिखित है:-

1. शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली
2. राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान, देहरादून
3. राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता।
4. राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांगजन संस्थान, सिकंदराबाद।
5. राष्ट्रीय श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई
6. राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान, कटक।
7. राष्ट्रीय बहु-दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान, चेन्नई।

दिव्यांगजनों के अधिकार सुनिश्चित करने वाले सांविधिक निकाय :

- दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त (सीसीपीडी): सीसीपीडी का कार्यालय दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुच्छेद 74(1) के दायरे में आता है। पीडब्ल्यूडी के मुख्य आयुक्त को विकलांगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस अधिनियम या किसी अन्य ऐसे कानून के तहत जो वर्तमान में लागू है और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश या उसके द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए अधिकार सौंपा गया है। इनमें मुख्य आयुक्त द्वारा उन कारकों की समीक्षा करना शामिल है जो विकलांगों के अधिकारों के लाभों को बाधित करते हैं। मुख्य - आयुक्त, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर या अन्यथा, विकलांगों के अधिकारों से वंचित करने या गैर-कार्यान्वयन या पीडब्ल्यूडी के अधिकारों के कल्याण और संरक्षण के लिए बनाया या जारी नियमों, उप-नियमों, विनियमों, कार्यकारी आदेशों, दिशा-निर्देशों या निर्देशों से संबंधित शिकायतों को देख सकते हैं और मामले को संबंधित अधिकारियों के साथ उठा सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के मुख्य आयुक्त को कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए एक सिविल कोर्ट की कुछ शक्तियां सौंपी गई हैं।
- ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट: राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 के तहत स्थापित राष्ट्रीय ट्रस्ट एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय ट्रस्ट की स्थापना दो बुनियादी कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए की गई है। स्थानीय स्तर की समिति के माध्यम से कानूनी कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है और पंजीकृत संगठनों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कल्याणकारी कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता - निर्माण कार्यक्रम और आश्रय, देखभाल और अधिकारिता शामिल हैं।

राष्ट्रीय न्यास समान अवसरों, अधिकारों की रक्षा और अधिनियम के तहत शामिल दिव्यांगजनों (दिव्यांगजन) की पूर्ण भागीदारी की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है।

भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) :

- भारतीय पुनर्वास परिषद को संसद के एक अधिनियम, अर्थात्, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 द्वारा एक वैधानिक दर्जा दिया गया है। इस परिषद के लिए पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवरों और कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनियमित और निगरानी करने और पुनर्वास तथा विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने और एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखने के लिए अनिवार्य किया गया है।

दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी) :

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के लिए एक अलग क्षेत्र कौशल परिषद बनाई गई है जिसमें निजी क्षेत्र से अध्यक्ष और पूर्णकालिक सीईओ हैं। परिषद में विभिन्न सदस्य हैं जो सरकारी और निजी क्षेत्र के हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और दिव्यांगजनों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन हैं।

भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित उपाय / प्रावधान किए हैं -

1. भारत सरकार ने 15 जून, 2017 को दिव्यांगजन अधिकार नियम अधिसूचित किए। इन नियमों में निर्मित वातावरण, यात्री बस परिवहन और वेबसाइटों के लिए पहुंच मानकों के अलावा, आवेदन करने की प्रक्रिया और विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया, समान अवसर नीति के प्रकाशन, राष्ट्रीय कोष के उपयोग और प्रबंधन के तरीके आदि विनिर्दिष्ट किए गए हैं।
2. भारत सरकार ने 04 जनवरी, 2018 को किसी व्यक्ति में निर्दिष्ट निःशक्तता की स्थिति के आकलन के लिए दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया। ये दिशा-निर्देश मूल्यांकन की एक विस्तृत प्रक्रिया के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की संरचना प्रदान करते हैं।
3. दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग, भारत सरकार ने 08 मार्च, 2019 को दिव्यांगजनों के अधिकार (संशोधन) नियम अधिसूचित किए, जिसमें एक मूल्यांकन बोर्ड, ऐसे बोर्डों की संरचना, इनकी उच्च समर्थन आवश्यकताओं की मांग करने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनव्यक्तियों के मूल्यांकन के तरीके को निर्दिष्ट किया गया था।
4. राज्यों को समय-समय पर अधिनियम की धारा 101 के अनुसार नियम बनाने की सलाह दी गई है। 31 मार्च, 2020 तक, 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने उक्त अधिनियम के तहत नियमों को अधिसूचित किया है।
5. दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग, भारत सरकार ने 08 नवंबर, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की अब तक चार बार बैठकें हो चुकी हैं।



चुनौतियां :

भारत में दिव्यांगजनों के प्रति आम जनता की धारणा में बदलाव लाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए दिव्यांगजनों के प्रति जागरूकता पैदा करना न केवल आम जनता बल्कि दिव्यांगजनों की मानसिकता को बदलने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है कि दिव्यांगजनों के प्रति बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए राज्य

सरकारों और स्थानीय निकायों को योजना बनाने और निष्पादन करने के स्तर पर सुगम्यता मानकों की संस्कृति आत्मसात करने की बहुत अधिक आवश्यकता है।

- अनुमानित 1.3 अरब लोग महत्वपूर्ण विकलांगता का अनुभव करते हैं। यह विश्व की 16% जनसंख्या, या 6 में से 1 व्यक्ति विकलांग है।
- कुछ दिव्यांगजन व्यक्तियों की मृत्यु बिना दिव्यांगजन व्यक्तियों की तुलना में 20 वर्ष पहले हो जाती है।
- अवसाद, अस्थमा, मधुमेह, स्ट्रोक, मोटापा या खराब मौखिक स्वास्थ्य जैसी स्थितियां विकसित होने का जोखिम दिव्यांगजन व्यक्तियों में दोगुना होता है।
- दिव्यांगजन व्यक्तियों को कई स्वास्थ्य असमानताओं का सामना करना पड़ता है।
- दिव्यांगजन व्यक्तियों को दुर्गम और अप्रभावी परिवहन बिना दिव्यांगजनलोगों की तुलना में 15 गुना अधिक कठिनाई से मिलता है।
- कलंक, भेदभाव, गरीबी, शिक्षा और रोजगार से बहिष्कार और स्वास्थ्य प्रणाली में आने वाली बाधाएँ, स्वास्थ्य संबंधी असमानताएँ दिव्यांगजन व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली अनुचित परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं।
- भारत में दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक बहिष्कार और स्वास्थ्य प्रणाली में आने वाली बाधाएँ आम बात हैं।

संरचनात्मक कारक :

- दिव्यांगजन व्यक्तियों को जीवन के सभी पहलुओं में सक्षमता, कलंक और भेदभाव का अनुभव होता है, जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कानून और नीतियां उन्हें अपने निर्णय लेने के अधिकार से वंचित कर सकती हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई हानिकारक प्रथाओं, जैसे जबरन नसबंदी, अनैच्छिक प्रवेश और उपचार, और यहां तक कि संस्थागतकरण की अनुमति भी दे सकती हैं।

स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक :

- गरीबी, शिक्षा और रोजगार से बहिष्कार, और खराब रहने की स्थिति सभी दिव्यांगजनव्यक्तियों के बीच खराब स्वास्थ्य और अपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के जोखिम को बढ़ाते हैं। औपचारिक सामाजिक सहायता तंत्र में अंतराल का मतलब है कि दिव्यांगजनव्यक्ति स्वास्थ्य और सामुदायिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए परिवार के सदस्यों के समर्थन पर निर्भर हैं, जिससे न केवल उन्हें बल्कि उनकी देखभाल करने वालों (जो ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां हैं) को भी नुकसान होता है।

जोखिम कारक :

- दिव्यांगजन व्यक्तियों में धूम्रपान, खराब आहार, शराब का सेवन और शारीरिक गतिविधि की कमी जैसे गैर-संचारी रोगों के जोखिम कारक होने की अधिक संभावना है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि उन्हें अक्सर सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों से वंचित रखा जाता है।

स्वास्थ्य प्रणाली :

दिव्यांगजन व्यक्तियों को स्वास्थ्य प्रणाली के सभी पहलुओं में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के बीच ज्ञान की कमी, नकारात्मक दृष्टिकोण और भेदभावपूर्ण व्यवहार; दुर्गम स्वास्थ्य सुविधाएं और जानकारी; और विकलांगता पर जानकारी या डेटा संग्रह और विश्लेषण की कमी, सभी इस समूह द्वारा सामना की जाने वाली स्वास्थ्य असमानताओं में योगदान करते हैं।

स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक को प्राप्त करने के लिए और आपातकालीन अंतर-क्षेत्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप तक पहुंच के लिए डब्ल्यूएचओ यह सुनिश्चित करने का काम करता है कि दिव्यांगजन व्यक्तियों को प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच मिले।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) निम्नलिखित कार्य करता है -

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) स्वास्थ्य प्रणाली प्रशासन और योजना में विकलांगता समावेशन पर सदस्य राज्यों का मार्गदर्शन और समर्थन करता है।
- विकलांगता से संबंधित डेटा और जानकारी के संग्रह और प्रसार की सुविधा प्रदान करता है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में विकलांगता समावेशन को मजबूत करने के लिए दिशानिर्देशों सहित मानक उपकरण विकसित करता है।
- स्वास्थ्य नीति निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच क्षमता का निर्माण करता है।

- यह सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों को बढ़ावा देता है कि दिव्यांगजनलोगों को अपनी स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में जानकारी हो, और स्वास्थ्य देखभाल कर्मी दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान का समर्थन और सुरक्षा करें।
- "संयुक्त राष्ट्र के कार्य के सभी स्तंभों के माध्यम से विकलांगता समावेशन पर सतत और परिवर्तनकारी प्रगति" को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकलांगता समावेशन रणनीति (यूएनडीआईएस) में योगदान देता है।
- सदस्य राज्यों और विकास भागीदारों को स्वास्थ्य क्षेत्र में विकलांगता समावेशन से संबंधित अद्यतन साक्ष्य, विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में दिव्यांगजनों की चिकित्सा और देखभाल के लिए दिए गए राष्ट्रीय संस्थानों की सूची और स्थानों राज्यों को सुमेलित कीजिए।

संस्थान -

- (1) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान
- (2) राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांगजन संस्थान
- (3). राष्ट्रीय श्रवण दिव्यांगजन संस्थान
- (4) राष्ट्रीय बहु-दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान

स्थान

- (a) देहरादून।
- (b) सिकंदराबाद।
- (c) चंडीगढ़।
- (d) पटना।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

- (A) केवल 1, 2 और 3
- (B) केवल 1, 3 और 4
- (C) केवल 1 और 2
- (D) इनमें से कोई भी नहीं।

उत्तर - (c)

मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न :

Q.1. दिव्यांगजन व्यक्तियों के जीवन में भारत के सभी मौलिक अधिकार किस प्रकार संरक्षित होते हैं ? 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम' 2016 ने भारत ने दिव्यांगता से संबद्ध विभिन्न कारकों को समाप्त करने में किस हद तक योगदान दिया है?

Akhilesh kumar shrivastav